



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2014/वैशाख 9, 1936

No. 957]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2014/VAISAKHA 9, 1936

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2014

का.आ. 1164(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 और 1051(अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 को राजस्थान सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 के किमी 308.000 (डिजाइन चैनेज किमी 308.000) से किमी 366.000 (डिजाइन चैनेज किमी 367.200) तक और पाली तक बाइपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 के किमी 366.000 से प्रारंभ होकर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 के किमी 114.000 को जोड़ते हुए जोधपुर – पाली खंड का 4 लेन में विकास और प्रचालन [खंड की कुल डिजाइन लंबाई 71.550 किमी] (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) के लिए 29.11.2012 को प्रस्तुत निविदा के लिए मै. जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. 11, बी-1, लोकल शापिंग काम्प्लेक्स, वसंत कुज, नई दिल्ली-110070 है (जो इसके आगे "रियायतग्राही" के रूप में उल्लिखित है) के साथ 28.02.2012 को एक करार [जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है], किया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित तथा बोली प्राप्ति की तारीख तक संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कथित खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, यथोचित प्रतिलाभ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपन्न करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि कथित खंड का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहन पर 59.250 किमी की लंबाई वाले निबल सड़क खंड के लिए 4 या इससे अधिक लेन के खंडों के प्रयोग हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर (इसके आगे "आधार दर" के रूप में उल्लिखित है) से और 12.300 किमी की लंबाई वाले एक अदद बाइपास के लिए आधार दर का 1.5 गुणा की दर से नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की

किस्मों पर शुल्क प्रभारित और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से और यथा-स्थिति प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर करार में यथा-विनिर्दिष्ट करार समापन की तारीख तक, इसमें से जो भी बाद में हो, शुल्क का संग्रहण करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

तालिका-।

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्धृत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:—

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
रारा-65 पर किमी/चैनेज 336.940 (डिजाइन किमी 338.050) (पाली जिले में निंबाली गांव के निकट)	39.750	उक्त तालिका -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%
रारा-65 पर किमी/चैनेज 364.020 (डिजाइन किमी 365.230) (पाली जिले में खरदा गांव के निकट)	19.500	उक्त तालिका -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

2. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर, निम्नलिखित बाइपास का प्रयोग करने के लिए, तालिका में उल्लिखित आधार दर, निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी :—

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम और लंबाई (किमी) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा	बाइपास की लागत (करोड़ रु.)	भुगतान योग्य फीस दर
रारा-65 पर किमी/चैनेज 364.020 (डिजाइन किमी 365.230) (पाली जिले में खरदा गांव के निकट)	12.300 किमी लंबा पाली बाइपास जो रारा-65 के किमी 366.000 (डिजाइन चैनेज किमी 367.200) से प्रारंभ और रारा-14 के किमी 114.000 (डिजाइन चैनेज किमी 379.553) पर विलय होगा।	31.92	उक्त तालिका -1 में उल्लिखित आधार दर का 150%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2013-14 के लिए 215 रु. (दो सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:—

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. नियमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन, उस दर पर फीस का भुगतान करने का दायित्व होगा जो अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए प्रयोज्य है और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्यम से प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंध के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा बशर्ते कि फीस के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं.आरडब्ल्यू/एनएच-37016/2/2013-एनएचडीपी-IVए]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2014

S.O. 1164(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways) number S.O.1096(E) dated 4th August 2005 and 1051(E) dated 24th April, 2009 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted National Highway No. 65 in the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan (hereinafter referred to as the “Authority”)

And whereas, the Authority has entered into an Agreement on 28.02.2013 (hereinafter referred to as said “Agreement”) with M/s Jodhpur Pali Expressway Limited, having its Registered Office at Plot No. 11, B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (hereinafter referred to as “Concessionaire”), for the bid submitted on 29.11.2012 for the development & operation of Jodhpur - Pali Section of NH-65 from Km 308.000 to Km. 366.000 & including bypass to Pali starting from Km 366.000 of the National Highway No. 65 connecting at Km 114.000 of NH-14 [Design length 71.550 km] (hereinafter referred to as the “said section”) in the State of Rajasthan on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended upto the date of receipt of bid, (herein referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that

there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section of 59.250 km length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at one and half times of the base rate for one number of bypass having design length of 12.300 km on the Types of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation dated (COD) declared by the Authority and on getting the completion certificate or the provisional completion certificate as the case may be from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

TABLE

Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which the fee is payable
Km/Ch 336.940 (Design Km 338.050) on NH-65 (near village Nimbali in Pali District)	39.750	100% of the base rates
Km/Ch 364.020 (Design Km 365.230) on NH-65 (near village Kharda in Pali District)	19.500	100% of the base rates

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of following bypass at the base rate mentioned in the Table below, cost of which is specified hereunder and at the following toll plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	Name & Length (in Km) of the bypass for which additional Fee is payable	Cost of Bypass/realignment (Rs. in crore)	Rate at which the fee is payable
Km/Ch 364.020 (Design Km 365.230) on NH-65 (near village Kharda in Pali District)	Pali Bypass of 12.300 Km length taking off at Km 366.000 (Design Km 367.200) of NH-65 and merging at Km 114.000 (Design Km 379.553) of NH-14	31.92	150% of the base rates mentioned in Table 1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway fee (determination of Rates and collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two – third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. RW/NH-37016/2/2013-NHDP-IVA]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.